तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 256/20 भगवानसिंह बनाम ना0 तहसीलदार रूदावल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.11.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने उनकी ओर से सी.पी.सी. के आदेश 6 रूल 17 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2017 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 06.01.2016 के विरूद्ध अपील पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा प्रार्थी के स्थगन आदेश संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। जिसके विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है, लेकिन अदालत हाजा में पेश मीमो आफ अपील में चाही गई दादरसी में तहसीलदार रूदावल के आदेश दिनांक 03.12.2015 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 06.01.2016 बाबत 3 माह के सिविल कारावास निरस्त किये जाने का सहवन से उल्लेख कर दिया गया। जबकि यह उल्लेख किया जाना चाहिए था कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आज्ञा अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर दिनांक 06.01.2016 निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे। अपीलान्ट से उक्त गलती सहवन से हुई है जिसमें संशोधन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मूल अपील की प्रकृति पर इस संशोधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के बाद भू प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा आदेश दिनांक 27.01.2016 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रूदावल व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेशों की पालना सजा की हद तक स्थगित की गई है। तब से उक्त प्रकरण में स्थगन चला आ रहा है। दोनों अदालत मातहत की मूल पत्रावलियां तलब होकर वर्ष 2016 में प्राप्त हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जा कर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय किया जावे। रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 06.01.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, के विरूद्ध अपील पेश की गई है। नायब तहसीलदार रूदावल की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध मूल अपील अभी भी अदालत मातहत में लम्बित है। ऐसी स्थिति में जब तक अदालत मातहत से मूल अपील पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक प्रकरण के गुणावगुण पर अदालत हाजा की ओर से विचार किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चाहा गया संशोधन मूल अपील में किये जाने की अनुमति दी जावे। अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया। यह सही है कि अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज
	अपील 256/20 भगवानसिंह बनाम ना0 तहसीलदार रूदावल
29.11.2023	06.01.2016 के विरूद्ध भू प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी। इसके साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 06.01.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई थी, जिसके द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया था। उक्त अपील दिनांक 11.01.2016 को पेश की गई थी। जिसमें भू प्रबंध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 27.01.2016 को अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार रूदावल व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के आदेशों की पालना को सजा की हद तक स्थगित किया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में नायब तहसीलदार रूदावल एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय से प्राप्त हुई मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इन पत्रावलियों में अपीलान्ट की ओर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 308/2016 जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 221 सहपठित धारा 9 एल.आर.एक्ट के संबंध में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया था कि भू प्रबंध एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर की पोस्ट पीठासीन अधिकारी द्वारा लम्बे समय से अवकाश लिये जाने होने से एवं लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के वैकेट होने के कारण सुनवाई नहीं होने से सुनवाई होने तक स्थगन आदेश जारी करने एवं अन्तिम तौर से कारावास की सजा माफ किये जाने बाबत अनुरोध किया गया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश दिनांक 18.01.2016 को श्रवणार्थ ग्राहयता के स्तर पर अंशतः स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों में प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा को आदेश में वर्णित शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किये जाने व प्रार्थी पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश की प्रति निबन्धक राजस्व मण्डल अजमेर की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर व नायब तहसीलदार रूदावल को पत्र दिनांक 21.01.2016 को भिजवाई गई है। अपीलान्ट की ओर से भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र में चाही गई दादरसी माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पूर्व में ही आदेश दिनांक 18.01.2016 के द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में दी जा चुकी है। इसके बाबजूद अपीलान्ट द्वारा उपरोक्त तथ्यों को छिपाते हुए पुनः राजस्व भू प्रबन्ध अधिकारी व पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के न्यायालय से स्थगन आदेश दिनांक 27.01.2016 को प्राप्त कर लिया। इसके बाद अपीलान्ट की ओर से लगभग 1 वर्ष 6 माह बाद सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत मूल अपील में संशोधन चाहे जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र में भी अपीलान्ट की ओर से माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलान्ट की ओर से स्वच्छ मन से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा जो दादरसी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाही जा रही है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील 256/20 भगवानसिंह बनाम ना0 तहसीलदार रूदावल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.11.2023	वह दादरसी पूर्व से ही माननीय राजस्व मण्डल की ओर से अपीलान्ट को दी जा चुकी है। माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 में यह निर्णय पारित किया गया है कि .....''पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने का निष्कर्ष सही प्रतीत होता है लेकिन प्रार्थी/अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है और भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करने की अण्डर टैकिंग दिये जाने के लिये कहा है। इसलिऐ न्यायहित में यह प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा के आदेश को इस शर्त पर निरस्त किया जाता है कि प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि में संबधित नायब तहसीलदार रूदावल के समक्ष इस आशय का शपथ प्रस्तुत कर देवें कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा कतई हटा लिया गया है और यह अण्डर टैकिंग भी प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार रूदावल उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेगें। उपरोक्तानुसार यह प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्राहयता के स्तर पर अंशतः स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में प्रार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा को उपरोक्त शर्त की पालना के अध्यधीन निरस्त किया जाता है। तथा प्रार्थी/अपीलान्ट पर लगाई गई शास्ति एवं बेदखली को यथावत रखा जाता है। राजस्व मण्डल के द्वारा आदेश दिनांक 18.01.2016 की प्रति आर0ए0ए0 भरतपुर को प्रेषित करते हुये प्रतिलिपि अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर एव नायब तहसीलदार रूदावल को पालनार्थ भिजवायी गई है, परन्तु अपीलाधीन निणर्य संबंधी मूल पत्रावलियां वर्ष 2016 में ही न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी में प्राप्त होने एवं इसके बाद दौराने राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में आर0ए0ए0 भरतपुर से यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार के मध्यनजर न्यायालय को प्राप्त होने के बाद दिनांक 24.02.2020 से उक्त अपील व प्रकरण संबंधी मूल पत्रावलियां अदालत हाजा में लम्बित होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 की पालना अभी तक भी नहीं हो सकी है। वकील अपीलान्ट की ओर से सी.पी.सी. के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना की बहस में भी उक्त तथ्य को न तो वकील अपीलान्ट द्वारा बताया गया और न ही सरकारी पैरोकार द्वारा स्पष्ट किया गया है। जबकि अपीलान्ट की ओर से जो दादरसी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाही गई थी। वह दादरसी अपीलान्ट की ओर से पूर्व से ही माननीय राजस्व मण्डल से प्राप्त की जा चुकी है। उपरोक्त सभी तथ्यों और वकील उभयपक्ष के कथनों पर विचार करते हुये यह स्पष्ट हो चुका है कि अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर के स्तर से नियमानुसार 75 एल आर एक्ट के अंतर्गत प्रथम अपील का पूर्णरूपेण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण नहीं हो सका है। अपीलान्ट केवल एडीएम भरतपुर के अन्तरिम आदेशिका 06.1.2016	

29.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

29.11.2023

के खिलाफ द्वितीय अपील आर0ए0ए0 भरतपुर के समक्ष ले गये। जबकि अन्तिम आदेश को बतौर अपील 76 एल आर एक्ट चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा आर0ए0ए0 का पद लम्बे समय तक रिक्त होने पर प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष पेश किया गया। जिसमें मण्डल के द्वारा इस प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश दिनांक 18.1.2016 पारित किया जा चुका है। मण्डल का आदेश दिनांक 18.1.2016 को पारित किया गया और अपीलान्ट की ओर से आर0ए0ए0 के समक्ष दिनांक 02.08.2017 को दादरसी दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र ओ0 6 रूल्स 17 सीपीसी पेश किया गया। ऐसी स्थिति में जब माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 18.1.2016 पारित किया जा चुका है तो अब इस स्तर पर दादरसी दुरूस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 18.1.2016 में यह स्पष्ट किया है कि प्रार्थी इस आदेश के पारित होने की दिनांक से दो माह की अवधि में संबधित नायब तहसीलदार रूदावल के समक्ष इस आशय का शपथ प्रस्तुत कर देवें कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा कतई हटा लिया गया है और यह अण्डर टैकिंग भी प्रस्तुत कर दे कि उसके द्वारा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया जावेगा तथा नायब तहसीलदार रूदावल उक्त शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का सत्यापन करेगें। यदि प्रार्थी ऐसा करने में कोई चूक करता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा के आदेश यथावत रहेगें।

अतः अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 06.01.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का स्थगन संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था, के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल से आदेश दिनांक 18.01.2016 के द्वारा रिलिफ लिया जा चुका है। इसलिए अब इस स्तर पर कोई अतिरिक्त कार्यवाही किया जाना मुनासिब नहीं रहता है।

हमारी विनम्र राय में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रकरण में आदेश दिनांक 18.01.2016 पारित किये हुये काफी लम्बा अर्सा व्यतीत हो चुका है। जिसकी समय पर पालना नहीं किये जाने से न्याय का मकसद ही समाप्त हो जाता है। चूंकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर व नायब तहसीलदार रूदावल की पत्रावली में संलग्न हैं। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण को यहां अनावश्यक लम्बित रखे जाने के स्थान पर माननीय राजस्व मण्डल की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.01.2016 की पालना किये जाने हेतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को मूल पत्रावली भिजवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2017 खारिज किया जाकर मूल पत्रावलियां अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर एवं नायब तहसीलदार रूदावल को बतौर रिमाईन्डर राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.01.2016 की पालना किये जाने हेतु पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रेषित की जाती हैं कि यदि प्रकरण में किसी सक्षम अदालत का कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं हो तो राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 18.01.2016 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील भी राजस्व मण्डल के

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील 256/20 भगवानसिंह बनाम ना0 तहसीलदार रूदावल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29.11.2023	निर्णय दिनांक 18.01.2016 की रोशनी में उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। (सॉवरमल वर्मा) संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	